क्रम संख्या–060

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 22 मई, 2001 ई0
ज्येष्ठ 01, 1923 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 10/विधायी एवं संसदीय कार्य/2001
देहरादून, 22 मई, 2001

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2001 पर दिनांक 22 मई, 2001 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 10 सन् 2001 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल विनियोग अधिनियम, 2001

31 मार्च, 2002 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

1. यह अधिनियम उत्तरांचल विनियोग अधिनियम, 2001 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तरांचल की समेकित निधि में से वर्ष 2001–2002 के लिए 4505,75,27,000 रुपये का दिया जाना

2. ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तरांचल की समेकित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो [अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2001 (उत्तरांचल अधिनियम संख्या–4 सन् 2001 की अनुसूची के स्तम्भ–3 में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके)] 4505,75,27,000 रुपये (चार हजार पांच सौ पांच करोड़, पचहत्तर लाख सत्ताइस हजार रुपये मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3. इस अधिनियम द्वारा उत्तरांचल की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची
(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3	4	5
1.	विधान सभा	राजस्व	62361	3448	65809
		पूंजी	0	0	0
2.	राज्यपाल	राजस्व	0	29343	29343
		पूंजी	0	0	0
3.	मंत्रि परिषद	राजस्व	35000	0	35000
		पूंजी	0	0	0
4.	न्याय प्रशासन	राजस्व	225030	97261	322291
		पूंजी	0	0	0
5.	निर्वाचन	राजस्व	43812	0	43812
		पूंजी	0	0	0
6.	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	1116372	22	1116394
		पूंजी	0	0	0
7.	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा सामान्य सेवायें	राजस्व	5143673	6806760	11950433
		पूंजी	134500	2509646	2644146
8.	आबकारी	राजस्व	38106	0	38106
		पूंजी	0	0	0
9.	लोक सेवा आयोग	राजस्व	7342	0	7342
		पूंजी	0	0	0
10.	पुलिस एवं जेल	राजस्व	1669161	10	1669171
		पूंजी	100001	0	100001
11.	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व	6828480	16	6828496
		पूंजी	190319	0	190319
12.	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	1656613	0	1656613
		पूंजी	157395	0	157395

1	2		3	4	5
13.	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व	2216058	0	2216058
		पूंजी	125000	0	125000
14.	सूचना	राजस्व	109939	0	109939
		पूंजी	0	0	0
15.	कल्याण योजनायें	राजस्व	1002055	0	1002055
		पूंजी	68100	0	68100
16.	श्रम और रोजगार	राजस्व	229120	0	229120
		पूंजी	0	0	0
17.	कृषि कर्म एवं अनुसन्धान	राजस्व	1630906	2355	1633261
		पूंजी	24740	0	24740
18.	सहकारिता	राजस्व	92733	0	92733
		पूंजी	84143	0	84143
19.	ग्राम्य विकास	राजस्व	1609627	0	1609627
		पूंजी	142538	0	142538
20.	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	1458188	0	1458188
		पूंजी	358746	0	358746
21.	ऊर्जा	राजस्व	331045	0	331045
		पूंजी	1000000	0	1000000
22.	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	1344308	10555	1354863
		पूंजी	2322551	0	2322551
23.	उद्योग	राजस्व	268779	0	268779
		पूंजी	32507	0	32507
24.	परिवहन	राजस्व	139156	100	139256
		पूंजी	27124	0	27124
25.	खाद्य	राजस्व	139382	0	139382
		पूंजी	1001	0	1001
26.	पर्यटन	राजस्व	184682	0	184682
		पूंजी	163017	0	163017
27.	वन	राजस्व	2516335	1198	2517533
		पूंजी	28500	0	28500
28.	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	521483	55	521538
		पूंजी	16830	0	16830
	योग ...		35596758	9460769	45057527

आज्ञा से,
(पी0 सी0 पन्त)
सचिव।